न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर

पीठासीन अधिकारीः श्याम सिंह शेखावत आर.ए.एस
अपील संख्याः 709/2018
निर्णय दिनांकः
लालचन्द पुत्र स्व. श्री रामकिशोर जाति बागडा ब्राहम्ण, निवासीः ग्राम अभयपुरा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।

..... **अपीलार्थी**

बनाम

1. देवेन्द्र कुमार पुत्र स्व. श्री रामेश्वर शर्मा
2. प्रभुनारायण पुत्र स्व. श्री रामेश्वर शर्मा (मृतक दौराने वाद)
   2/1 श्रीमती सुशील धर्मपत्नि स्व. प्रभु नारायण
   2/2 रामदास पुत्र स्व. प्रभुनारायण
   2/3 सुश्री बीना पुत्री स्व. प्रभुनारायण
   2/4 सुश्री माया पुत्री स्व. प्रभुनारायण
3. जय सीयाराम पुत्र स्व. श्री रामेश्वर शर्मा, समस्त जाति बागडा ब्राहम्ण, निवासीः ग्राम अभयपुरा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।

.....रेस्पोडेन्ट्स

4. श्री भीवाराम पुत्र स्व. श्री गोपीराम (मृतक दौराने वाद)
5. श्री नारायण लाल पुत्र स्व. श्री गोपीराम
6. श्री प्रहलाद पुत्र स्व. श्री रामकिशोर
7. श्री सुरेश कुमार पुत्र स्व. श्री रामकिशोर
8. श्री अशोक पुत्र श्री सत्यनारायण
9. श्री हरसहाय पुत्र स्व. श्री भूराराम (मृतक दौराने वाद)
   9/1 श्री भैरूलाल पुत्र स्व. श्री हरसहाय,
   9/2 श्री मन्ना लाल पुत्र स्व. श्री हरसहाय
   9/3 मु. धन्नी देवी पत्नि स्व. श्री हरसहाय (मृतक दौराने वाद)
   9/4 सरजू देवी पुत्री स्व. श्री हरसहाय
10. श्री रघुनाथ पुत्र स्व. श्री भूराराम
11. श्री लालचंद पुत्र स्व. श्री गोविन्दराम
12. श्री राधेश्याम पुत्र स्व. श्री गोविन्दराम
13. श्री बाबूलाल पुत्र स्व. श्री गोविन्दराम
14. श्री सीताराम पुत्र स्व. श्री दुर्गालाल (मृतक दौराने वाद)
    14/1 श्रीमती राजा देवी पत्नि स्व. श्री सीताराम
    14/2 अशोक पुत्र स्व. श्री सीताराम
    14/3 महेश पुत्र स्व. श्री सीताराम
    समस्त जाति बागडा ब्राहम्ण, निवासीः ग्राम अभयपुरा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।
15. श्री लक्ष्मीनारायण पुत्र स्व. श्री दुर्गालाल,
16. श्री जगन्नाथ पुत्र स्व. श्री सुवालाल
    समस्त जाति बागडा ब्राहम्ण, निवासीः ग्राम अभयपुरा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।
17. श्री चन्दालाल पुत्र स्व. श्री सुवाला (मृतक दौराने वाद)
    17/1 श्रीमती रामप्यारी धर्मपत्नि स्व. श्री चंदालाल
    17/2 श्री दयानन्द पुत्र स्व. श्री चंदालाल

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

17/3 श्री रामनिवास पुत्र स्व. श्री चंदालाल
समस्त जाति बागडा ब्राहम्ण, निवासीः ए–ब्लॉक, प्रधान ट्रेडर्स के पास, मालवीय नगर, जयपुर।

18. श्याम लाल पुत्र स्व. श्री सुवालाल (मृतक दौराने वाद)
18/1 श्री रवि शंकर पुत्र स्व. श्री श्यामलाल
18/2 श्री विष्णु पुत्र स्व. श्री श्यामलाल
18/3 मु. दुर्गा देवी पत्नि स्व. श्री श्यामलाल
समस्त जाति बागडा ब्राहम्ण, निवासीः ग्राम अभयपुरा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।
18/4 श्रीमती कांता देवी पुत्री स्व. श्री श्यामलाल धर्मपत्नि श्री अशोक कुमार शर्मा निवासीः ग्राम मुण्डियारामसर, तहसील व जिला जयपुर।
19. श्री प्रभुनारायण पुत्र स्व. श्री सुवालाल, जाति बागडा ब्राहम्ण, निवासीः ग्राम अभयपुरा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।
20. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सांगानेर, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।
21. उप पंजीयक सांगानेर, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।

..... **प्रारूपिक रेस्पोडेन्ट्स**

अपील विरूद्व आदेश दिनांक 07.05.2018 न्यायालय सहायक कलक्टर जयपुर शहर प्रथम जयपुर, प्रार्थना पत्र संख्या 89/2008 उनवान देवेन्द्र कुमार बनाम भीवाराम अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

:–निर्णय–: दिनांक 26.02.2021

1. अपीलार्थी द्वारा न्यायालय हाजा के समक्ष यह अपील न्यायालय सहायक कलक्टर जयपुर शहर प्रथम जयपुर के आदेश दिनांक 07.05.2008 प्रार्थना पत्र संख्या 89/2008 बउनवानी देवेन्द्र कुमार बनाम भीवाराम के विरूद्व अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् प्रस्तुत की गई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय का प्रस्तुत किया कि साबिक खसरा नंबर 244, 248, 268, 274, 278, 283, 308 एवं 320 रकबा 2 बीघा 15 बिस्वा कुल किता 8 कुल रकबा 27 बीघा 11 बिस्वा प्रारंभ से ही स्व. श्री नाथूलाल एवं स्व. श्री सुवालाल पुत्रान स्व. श्री गणेश के स्वतंत्र कब्जे काश्त की भूमि रही है जिसको संयुक्त रूप से वे स्वयं काश्त करते थे तथा उक्त भूमि पर बहैसियत कृषक जागीरदार काबिज काश्तकार थे और उनके देहान्त के बाद अब प्रार्थीगण एवं प्रारूपिक अप्रार्थी संख्या 9 लगायत 17 उक्त भूमि के तन्हा खातेदार एवं काबिज काश्तकार है। उक्त साबिक खसरा नंबरों की भूमि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं जागीरदारी एवं बिस्वेदारी उन्मूलन अधिनियम 1956 के प्रभाव में आने के समय स्व. श्री नाथूलाल एवं सुवालाकल के कब्जे काश्त की भूमि थी इसलिये उन्हें उक्त भूमि का तन्हा खातेदार काश्तकार अंकित करते हुये खातेदारी अधिकार प्रदान किये गये। स्व. श्री नाथूलाल एवं सुवालाल पुत्र स्व. श्री गणेश के अतिरिक्त किसी भी अन्य व्यक्ति का उक्त भूमि से कोई संबंध व सरोकार ना तो पूर्व में कभी था और ना ही वर्तमान में ही है। तहसील सांगानेर में वर्ष 1989 से 2009 की अवधि के लिये प्रारंभ हुये भू प्रबंधन से पूर्व उक्त वर्णित भूमि का पर्चा नोटिस भी प्रार्थीगण के हकपूर्वाधिकारी स्व. श्री रामेश्वर तथा प्रारूपिक अप्रार्थीगण

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

एवं उनके हकपूर्वाधिकारी स्व. श्री गोविन्दराम के नाम जारी किया गया तथा भूमि का रकबा मैट्रिक प्रणाली में परिवर्तित करते हुये उसके नवीन खसरा नंबर 560, 595, 695, 753, 763, 764, 765, 764/975, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 791, 792, 798, 799, 800, 801, 811, 812, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 895, 955, 956, 957, 958 एवं 959 कुल किता 34 कुल रकबा 6.81 हैक्टेयर कायम किये गये उक्त भूमि ही विवादग्रस्त भूमि है। पर्चा नोटिस जारी होने के पश्चात् दिनांक 13.02.1985 को अप्रार्थी संख्या 2 व अप्रार्थी संख्या 7 ने एक आवेदन सहायक भू प्रबंध अधिकारी सांगानेर के समक्ष प्रस्तुत कर साबिक खसरा नंबरो से बनाये गये नये वर्तमान खसरा नंबर के 1/2 भाग की खातेदारी अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 8 के नाम अंकित किये जाने का अनुरोध किया। आवेदन के अनुसार अप्रार्थी संख्या 2 व 7 ने भूमि वादग्रस्त के 1/2 भाग को आपसी सहमति के आधार पर अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 8 के नाम अंकित करने हेतु आवेदन किया जिस पर सहायक भू प्रबंध अधिकारी ने दिनांक 13.02.1985 को ही उक्त आवेदन को दर्ज रजिस्टर कर रिकॉर्ड एवं रिपोर्ट के साथ दिनांक 26.02.1985 को जयपुर मुख्यालय में प्रस्तुत करने का आदेश दिया तथा दिनांक 26.02.1985 को अप्रार्थी संख्या 2 व 7 द्वारा साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु समय चाहा तथा दिनांक 19.04.1985 को अप्रार्थी संख्या 2 एवं 7 द्वारा सबूत में शपथ पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र तथा सरपंच द्वारा जारी वंशावली प्रस्तुत करने पर सहायक भू प्रबंध अधिकारी ने भूमि विवादग्रस्त की खातेदारी जो कि प्रार्थीगण एवं प्रारूपिक अप्रार्थी संख्या 9 लगायत 17 के नाम संयुक्त रूप से 1/2–1/2 हिस्सा अंकित थी, को अप्रार्थीगण के नाम अंकित करते हुये प्रार्थीगण के हकपूर्वाधिकारी स्व. रामेश्वर का 1/3 हिस्सा, अप्रार्थी संख्या 9 लगायत 11 के हकपूर्वाधिकारी स्व. श्री गोविन्दराम का 1/3 हिस्सा, अप्रार्थी संख्या 12 व 13 का 1/3 हिस्सा दर हिस्साा 1/4 तथा अप्रार्थी संख्या 14 लगायत 17 का हिस्सा 1/4 अंकित करते हुये अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 8 का 1/2 हिस्सा अंकित कर उन्हे नवीन खातेदारी अधिकार प्रदान कर दिये जो कतई अवैध कार्यवाही होने की वजह से निरस्त कर संपूर्ण भूमि को पुनः प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण के नाम पूर्वानुसार अंकित किया जाना आवश्यक है। ग्राम अभयपुरा, तहसील सांगानेर स्थित उक्त विवादग्रस्त भूमि प्रारंभ से ही स्व. श्री नाथूलाल व सुवालाल पुत्रान स्व. श्री गणेश की स्वतंत्र खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि रही है तथा अप्रार्थीगण एवं उनके हकपूर्वाधिकारी का उक्त भूमि से कभी कोई संबंध व सरोकार नहीं रहा है। यद्यपि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण के पूर्वज स्व. श्री गणेश अवश्य थे किन्तु भूमि विवादग्रस्त कभी स्व. श्री गणेश की खातेदारी अथवा कब्जे काश्त में नहीं रही है इसलिये अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 8 को भूमि विवादग्रस्त में कानूनन कोई अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते है। भूमि वादग्रस्त जागीर के समय से लेकर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रभाव में आने तक केवल मात्र स्व. श्री नाथूलाल एवं सुवालाल की तन्हा खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि रही है एवं सहायक भू प्रबंध अधिकारी को कोई वैधानिक अधिकार प्राप्त नहीं था कि वे अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 8 को उपरोक्त वर्णित भूमि वादग्रस्त में तथा कथित सहमति पत्र के आधार पर खातेदारी अधिकार प्रदान करे। फिर भी अप्रार्थीगण ने सहायक भू प्रबंध अधिकारी तथा भू प्रबंध विभाग के अन्य कर्मचारियों के साथ साजिश कर प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण की स्वतंत्र खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि में अपना नाम व हिस्सा अंकित करवा लिया जो दुरूस्त किये जाने योग्य है। प्रार्थीगण के हकपूर्वाधिकारी स्व. श्री रामेश्वर तथा अप्रार्थीगण एवं उनके हकपूर्वाधिकारी ने अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 8 के पक्ष में ना तो कोई सहमति प्रदान की और ना ही कानून में ऐसी सहमति का कोई वैधानिक महत्व ही है, किन्तु फिर भी सहायक भू प्रबंध अधिकारी ने कतई अवैधानिक तरीके से कार्यवाही करते हुये अप्रार्थीगण का

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

नाम राजस्व भू अभिलेखों में अंकित कर उन्हे 1/2 हिस्से का खातेदार अंकित कर दिया जबकि अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 8 का उपरोक्त वर्णित भूमि वादग्रस्त के किसी भी भू भाग पर ना तो कोई कब्जा काश्त पूर्व में कभी था और ना ही वर्तमान में है। प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण एक ही वंश वृक्ष की शाखाएं अवश्य है किन्तु एक ही पूर्वज की संतान होने मात्र के आधार पर भूमि वादग्रस्त में अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 8 का कोई हक हिस्सा नहीं हो सकता है। प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण के मौरूसी आला स्व. श्री गणेश के नाम जो भूमियां अंकित थी वे राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं जागीरदारी एवं बिस्वेदारी उन्मूलन अधिनियम के प्रभाव में आने के समय उनके चारो पुत्रों के नाम अंकित की गई थी, जो आज भी बदस्तूर प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण के नाम संयुक्त रूप से अंकित चली आ रही है। भूमि वादग्रस्त के अलावा और भी भूमियां है जो प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण के नाम पृथक–पृथक व स्वतंत्र रूप से खातेदारी एवं कब्जे काश्त में अंकित है किन्तु इस संबंध में दोनो पक्षों के मध्य कभी कोई विवाद नहीं हुआ है और ना ही अप्रार्थीगण ने उनके संबंध में कभी कोई उज्र ही किया है किन्तु फिर भी अप्रार्थीगण ने प्रार्थीगण की अल्प व्यस्कता एवं सरल स्वभाव तथा श्री रामेश्वर की लंबी बिमारी का अनुचित लाभ उठाते हुये भू प्रबंध अधिकारी व कर्मचारियो से साजिश कर भूमि विवादग्रस्त की खातेदारी को अपने नाम अंकित करवा लिया जो दुरूस्त किये जाने योग्य है। अप्रार्थीगण भूमि विवादग्रस्त को राजस्व भू अभिलेखों में अवैध रूप से अंकित इन्द्राजात का अनुचित लाभ उठाकर अन्यत्र हस्तान्तरित करने की कोशिश कर रहे है इस कारण अपने खातेदारी अधिकारों की रक्षार्थ प्रार्थीगण को यह प्रार्थना पत्र पेश करना आवश्यक हुआ है। विवादग्रस्त भूमि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 9 लगायत 17 की खातेदारी एवं संयुक्त कब्जे काश्त की भूमि है जिस पर प्रार्थीगण अपने हक एवं हिस्से के 1/6 भाग पर काबिज काश्त है जिसका शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग करने में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न करने का अप्रार्थीगण को कोई वैधानिक हक व अधिकार नहीं है इसलिये प्रार्थीगण का प्रथमदृष्टया केस एवं सुविधा का संतुलन बमुकाबले अप्रार्थीगण प्रबल है। यदि अप्रार्थीगण उक्त गलत इन्द्राज के आधार पर आराजीयात को विक्रय, हस्तान्तरित करने में सफल हो गये तो अप्रार्थीगण को अपूर्तनीय क्षति कारित हो सकती है इस कारण अप्रार्थीगण को वांछित निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना आवश्यक है। अंत में प्रार्थीगण ने अनुतोष चाहा है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अप्रार्थीगण को वाद के अंतिम निर्णय तक जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि ग्राम अभयपुरा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर के खसरा नंबर 560, 595, 695, 753, 763, 764, 765, 764/975, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 791, 792, 798, 799, 800, 801, 811, 812, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 895, 955, 956, 957, 958 एवं 959 कुल किता 34 कुल रकबा 6.81 हैक्टेयर भूमि को वर्तमान जमाबंदी में 1/2 हिस्से के अवैध अंकन होने के आधार पर किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी भी प्रकार से रहन, बय एवं मुन्तकिल नहीं करे तथा प्रार्थीगण के शांतिपूर्ण कब्जे काश्त में किसी प्रकार का हस्तक्षेप ना तो स्वयं करे ना ही किसी अन्य से करावे। तत्पश्चात् अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वकील प्रार्थी एवं अप्रार्थी की बहस सुनकर बाद बहस मनन निर्णय दिनांक 07.05.2018 के माध्यम से उभयपक्षों को वाद के अंतिम निर्णय तक जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया कि वे विवादग्रस्त आराजीयात के राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखे। अधिनस्थ न्यायालय के उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलार्थी ने उक्त अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की।

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर तलबी रेस्पोडेन्ट्स जारी की गई। वकील पक्षकारान की पत्रावली में अंतिम बहस सुनी गई। दौराने बहस वकील अपीलार्थी ने

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष पत्रावली प्रतिवादी संख्या 12 की मृत्यु होने के कारण प्रतिवादी संख्या 12 के उत्तराधिकारियों की तलबी हेतु नियत थी एवं समस्त पक्षकारान अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं थे किन्तु अधिनस्थ न्यायालय द्वारा बिना प्रतिवादी संख्या 12 के वारिसान की तलबी करवाये बिना एवं दोनो पक्षों की बहस सुने बिना ही मात्र कैम्प कोर्ट में आंकडे बढाने के उद्देश्य से अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष दौराने वाद रेस्पोडेन्ट संख्या 4 एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 9/4 का निधन हो गया था किन्तु वादी द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष न तो इस बाबत कोई सूचना ही प्रदान की गई एवं ना ही इस बाबत पत्रावली में कोई कार्यवाही ही की गई है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किये बिना एवं प्रकरण के तथ्यों को समझे बिना ही गलत अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। इस कारण अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 07.05.2018 खारिज फरमाया जावे। वकील अपीलान्ट ने अपनी बहस के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट बनाम गिरधरभाई रामजीभाई में पारित आदेश दिनांक 05.05.1997 एवं दलपत कुमार व अन्य बनाम प्रहलाद सिंह व अन्य में पारित आदेश दिनांक 16.12. 1991 प्रस्तुत किये। वकील रेस्पोडेन्ट ने वकील अपीलान्ट के कथनों का खंडन करते हुये निवेदन किया कि विवादग्रस्त आराजीयात में रेस्पोडेन्ट का भी हक हिस्सा निहित है किन्तु गलत इन्द्राज के आधार पर अपीलान्ट आराजीयात को बेचान करने पर आमादा है। वाद का अंतिम निर्णय होना अभी शेष है जिसके पश्चात् ही आराजीयात में पक्षकारान के मालिकाना हक तय होगे। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा मौके पर विवाद न बढे व आराजीयात खुर्द–बुर्द न हो इसी बिन्दु को दृष्टिगत रखते हुये वाद के अंतिम निर्णय तक उभयपक्षों को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया है। अधिनस्थ न्यायालय ने प्रकरण के संपूर्ण तथ्यों व दस्तावेजी साक्ष्यों पर गौर कर सही निर्णय पारित किया है जिसमें कोई त्रुटि नहीं है। इस कारण अपील अपीलान्ट गलत तथ्यों पर आधारित होने से खारिज फरमाई जावे।

4. वकील पक्षकारान की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन यह पाया गया कि अपीलान्ट द्वारा धारा 5 परिसीमा अधिनियम के तहत् प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में लिया गया आधार कि प्रार्थी/अपीलान्ट को आदेश दिनांक 07.05.2018 की जानकारी नहीं थी उक्त बिन्दु अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से प्रमाणित नहीं होता है। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली की आदेशिका पर प्रार्थी/अपीलान्ट के हस्ताक्षर मौजूद है। प्रार्थी/अपीलान्ट यह सिद्ध करने में भी असफल रहे है कि हस्ताक्षर खाली नोटशीट पर करवाये गये थे साथ ही प्रार्थी/अपीलान्ट अपने प्रार्थना पत्र में उठाये गये उज्र कि प्रकरण तारीख पेशी में नहीं था, को प्रमाणित करने हेतु कॉज लिस्ट की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने में भी असफल रहे है। प्रार्थी/अपीलान्ट का अपील में यह उज्र है कि प्रार्थी/अपीलान्ट ने अपीलाधीन निर्णय पारित करने हेतु अपनी कोई सहमति प्रदान नहीं की। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली में ऑर्डरशीट दिनांक 07.05.2018 के अवलोकन से यह तथ्य प्रमाणित .है कि ऑर्डरशीट दिनांक 07.05.2018 पर अपीलान्ट के हस्ताक्षर है जिससे यह तथ्य साबित है कि निर्णय बाबत अपीलान्ट द्वारा सहमति प्रदान की गई है। इस कारण विधि अनुसार प्रार्थी/अपीलान्ट अपनी सहमति से पीछे हटने से एस्टोप्ड है। जहां तक अस्थाई निषेधाज्ञा के तीनों बिन्दुओं को तय किये जाने का प्रश्न है पक्षकारान की सहमति से प्रदत्त अस्थायी निषेधाज्ञा के निर्णय में प्रथमदृष्टया वाद, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्तनीय क्षति के आवश्यक बिन्दुओं को तय किया जाना आवश्यक नहीं है। वकील अप्रार्थी/रेस्पोडेन्ट द्वारा दिये गये उक्त तर्क कि जयपुर विकास प्राधिकरण

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

को पक्षकार इसलिये नहीं बनाया गया कि वाद संस्थित किये जाने के समय विवादित भूमि रिंग रोड हेतु अवाप्त नहीं की गयी थी, में कोई त्रुटि प्रतीत नहीं होती है। प्रार्थी/अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत प्रकरण पर चस्पा नहीं होते है। उपरोक्त विवेचन अनुसार स्पष्ट है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वाद की बहुलता को रोकने हेतु न्यायोचित निर्णय पारित किया गया है जिसमें किसी प्रकार की कोई न्यायिक या प्रक्रियात्मक त्रुटि नहीं है। फलस्वरूप अपील अपीलान्ट खारिज किया जाना उचित है।

5. अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर जयपुर शहर जयपुर प्रथम द्वारा पारित निर्णय दिनांक 07.05.2018 यथावत रखा जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। बाद दाखिल दफ्तर हो।

6. निर्णय आज दिनांक 26/2/2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर